

प्ररूप-2

(नियम 3 (4) देखिए)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

दिनांक 13.05.2021

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.....08

प्र0क0115(ब-121)2020-21

प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति/फर्म/कंपनी/सोसाइटी जिसके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2013 के उपबंधों के अधीन कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अर्थात्

नाम	श्री कुलदीप राय
पिता	श्री प्रीतम सिंह राय
निवासी	सरदार भगतसिंह वार्ड मंडला
मोहल्ला	सरदार भगतसिंह वार्ड मंडला
ग्राम /वार्ड	सरदार भगतसिंह वार्ड मंडला
नगर/करबा	मंडला
तहसील	मंडला
जिला	मंडला

रजिस्ट्रीकरण के निबन्धन तथा शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. यह रजिस्ट्रीकरण अनुविभाग मंडला तक सीमित है।
2. कालोनाइजर को प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी के विकास की पूर्व सूचना देनी होगी।
3. विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिये प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

टिप्पण:- कालोनी का विकास, उसका विकास कार्य, भूखण्डों/भूखण्डों का विक्रय सिर्फ तभी विधिमान्य होगा, यदि कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा नियमों में विहित किए गए अनुसार प्राप्त की गई है।

स्थान-मंडला

तारीख:- 13/05/2021



अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
राजस्व मण्डला (म.प्र.)
मंडला